भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2234

जिसका उत्तर 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया गया

एनपीए संबंधी कानून

2234. श्री हेमन्त पाटिल:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पूंजी निवेश का निर्णय लेने से पहले उक्त बैंकों की बढ़ती गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में पीएसबी के पिछले पुन: पूंजीकरण की सफलता के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा देश में पीएसबी के पुन:पूंजीकरण से बचने के लिए एनपीए पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ड.): बैंकों की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कार्रवाई करने में तीन कानूनों अर्थात्, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी), वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी अधिनियम) और ऋण वसूली एवं शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (आरडीबी अधिनियम), से सहायता प्राप्त होती है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, आईबीसी के अंतर्गत उधारकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) सहित वित्तीय उधारताओं ने विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान 1,76,674 करोड़ रुपए की राशि की वसूली की है और भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, सरफासी अधिनियम और आरडीबी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करके एससीबी ने इसी अवधि के दौरान 1,66,187 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की वसूली की है। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वसूली तथा अन्य के संबंध में उठाए गए कदमों के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का सकल एनपीए, जो दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार, 8.96 लाख करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर था, दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार कम होकर 5.77 लाख करोड़ रुपए हो गया।

पीएसबी के पुनर्पूंजीकरण के संबंध में पुनर्पूंजीकरण का उद्देश्य विनियामकीय संरचना के अनुरूप होता है और इसमें बैंकिंग संस्थानों की आघात सहन क्षमता को बढ़ाना, संपूर्ण प्रणाली में व्याप्त जोखिम का समाधान करना तथा पूंजी अवसंरचना के जोखिम कवरेज को बढ़ाना शामिल है। समय पर पुनर्पूंजीकरण के कारण पीएसबी दिनांक 31.3.2008 से भारत में बैंकों के लिए लागू कठोर बासेल-II पूंजी मानदण्ड और दिनांक 1.4.2013 से लागू और अधिक कठोर बासेल-III पूंजी मानदण्ड का अनुपालन कर सका।

पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के बैंक के प्रयास में सहायता करने हेतु पीएसबी में समय-समय पर पूंजी का निवेश किया जाता है। मार्च, 2008 से सरकार ने पीएसबी में 3.87 लाख करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया है, जबकि पीएसबी ने इक्विटी तथा बांड दोनों रूप में बाजार से स्वयं 4.05 लाख करोड़ रुपए की पूंजी एकत्र की है, इसमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3.3.2021 तक 55,670 करोड़ रुपए की राशि जुटायी गयी है।

ऋण आस्तियां सृजित करने के संबंध में बैंक की क्षमता का मुख्य मापदण्ड पूंजी है, यह ऋण के विस्तार के लिए आवश्यक है। पुनर्पूंजीकरण के द्वारा सशक्त होने पर बैंक का अग्रिम मार्च, 2008 से मार्च, 2020 की अवधि के दौरान 11.4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। इस अवधि के दौरान पीएसबी में उनके ऋण पोर्टफोलियो में अत्यधिक दबाव के बनने को देखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) 14.58% हो गयी।

पुनर्पूंजीकरण, बैंकों में दबाव की पहचान करने, दबावग्रस्त खातों का समाधान करने, पुनर्पूंजीकण तथा सुधार की सरकार की समग्र नीतिगत अनुक्रिया का भाग रहा है। सुधार के भाग के रूप में सरकार ने पीएसबी के संबंध में बेहतर पहुँच तथा सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) सुधार के संबंध में बैंक-वार प्रगति की संस्थागत निगरानी हेतु वर्ष 2018 से एक व्यापक संरचना की शुरूआत की है। ईएएसई सुधार के अंतर्गत 100 से अधिक उद्देश्यों के संबंध में स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से बैक-वार प्रगति की निगरानी की जा रही है और ईएएसई सुधार सूचकांक, जिसकी समीक्षा बैंक बोर्ड के द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है, में बेंचमार्क मीट्रिक्स को शामिल किया जाता है और इसे वार्षिक रिपोर्ट तथा तिमाही आंकड़ों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है। यह पाया गया कि सभी पीएसबी ने विगत दो वित्तीय वर्ष में अपने बेसलाइन इंडेक्स स्कोर में सुधार को दर्शाया है।

सुधार के साथ-साथ समय पर पुनर्पूंजीकरण किए जाने के परिणामस्वरूप पीएसबी की वित्तीय स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है, जैसा कि निम्नलिखित से परिलक्षित होता है:—

i. सकल एनपीए, जो मार्च, 2018 में 8.96 लाख करोड़ रुपए था, दिसम्बर, 2020 में कम होकर 5.77 लाख करोड़ रुपए हो गया;
ii. मार्च, 2018 से दिसम्बर, 2020 तक 2.74 लाख करोड़ रुपए की रिकार्ड वसूली हुई है;
iii. वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2013-14 तक धोखाधड़ी की घटनाओं में औसतन अग्रिमों के 0.72% तक की भारी कमी हुई है तथा यह वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1.01% के उच्चतम स्तर पर था, वित्तीय वर्ष 2019-20 में कम होकर 0.23% हो गया;
iv. आस्ति की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार हुआ है, निवल एनपीए (एनएनपीए), जो मार्च 2018 में 7.97% था, दिसम्बर, 2020 में कम होकर 2.32% हो गया;
v. मार्च 2018 में 21 पीएसबी में से 2 पीएसबी लाभ की स्थिति में थे, जबकि दिसम्बर, 2020 में 12 पीएसबी में से 11 पीएसबी लाभ की स्थिति में हैं;
vi. आरबीआई की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंतर्गत पीएसबी की संख्या, जो मार्च 2018 में 11 थी, दिसम्बर 2020 में कम होकर 3 हो गयी है;
vii. निम्नलिखित के कारण पूंजी पर्याप्तता में अत्यधिक सुधार हुआ है—
    - जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर), जो मार्च 2018 में 11.66% था, में दिसम्बर 2020 में 208 आधार बिन्दु का सुधार होने से यह 13.74% हो गया; और
    - प्रावधान कवरेज अनुपात, जो मार्च 2018 में 62.7% था, दिसम्बर 2020 में बढ़कर 87.47% हो गया, जो बढ़ी हुई आघात सहन क्षमता को दर्शाता है।

*****